कार्यालय–मुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर

पत्रांक. मु.चि.अ./कोविड–19/तम्बाकू नियंत्रण/2020–21/295–26 दिनाँक. 12.05.2020

1–समस्त अपर /उपमुख्य चिकित्साधिकारी फतेहपुर।
2–जिला क्षयरोग अधिकारी फतेहपुर।
3–जिला कुष्ठ अधिकारी फतेहपुर
4–जिला मलेरिया/फाइलेरिया नियंत्रण अधिकारी फतेहपुर।
5–समस्त चिकित्साअधीक्षक /प्रभारी चिकित्साअधिकारी जनपद फतेहपुर

विषय– कोविड–19 को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक स्थानों, कार्यालयों पर पानमसाला, तम्बाकू एवं कैफे ,बार, लाउन्ज,रेस्तरा आदि में हुक्का, चिलम, सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद प्रतिबन्धित करने एवं आवश्यक कार्यवाही करने के सम्बंध में।

महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ.प्र. स्वास्थ्य भवन लखनऊ के पत्र संख्या राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ/2019–20/8375 दिनाँक 13.04.2020 के कम में मुख्य सचिव उ0प्र0शासन के शासनादेशक 786/तीन–18–06(9)18 दिनाँक 12 अक्टूबर 2018 द्वारा दिनाँक 02 अक्टूबर 2018 द्वारा प्रदेश के समस्त शासकीय प्रतिष्ठानों के मुख्यालयों, सरकारी प्रतिष्ठानों, एवं स्थानीय कार्यालयों में तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के प्रयोग को पूर्णतः प्रतिबन्धितकिया जा चुका है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस (कोविड–19) को महामारी घोषित किया जा चुका है, तम्बाकू पीने वाले व्यक्ति शीशा, निकोटिन,या औषधि , सब्जी और फल के रस , किण्वित सब्जी किण्वित फल, को तम्बाकू के साथ या बिना तम्बाकू के किसी अन्य पदार्थ के साथ, हुक्का पीने वाले अथवा जो व्यक्ति धूम्रपान नही करते है, दोनों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हुक्का से निकला धुँवा जहरीला होता है इसमें खतरनॉक कैंसरकारी तत्व होतें है और इससे कैंसर असाध्य रोग जन्म के समय कम बजन और अन्य बीमारिया होती हैं।

भारतीय दण्डसंहिता 1860 की धारा 269 में निर्धारित किया गया है कि जो व्यक्ति अवैध तरीके से या शासन के आदेशों की उपेक्षापूर्वक कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे उसके अथवा जिसे वह जानता पहचानता हो, उसके जीवन के लिए खतरनाक किसी भी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो उसे छः माह के लिए कारावास की सजा हो सकती हैया अर्थदण्ड लगाया जा सकता है अथवा दॉनो सजा हो सकती है।

भारतीय दण्डसंहिता 1860 की धारा 270 में निर्धारित किया गया है कि जो कोई भी अवैध तरीके से कोई भी ऐसा कार्य करता है जिससे और जिसे वह जानता है के जीवन के लिए खतरनॉक किसी भी बीमारी का संक्रमण फैलने की संभावना हो , उसे दो वर्ष तक की कारावास की सजा हो सकती है या अर्थदण्ड अथवा दोंनों हो सकता है।

भारतीय दण्डसंहिता 1860 की धारा 278 में निर्धारित किया गया है कि जो भी किसी भी स्थान पर वातावरण को स्वेच्छा से दूषित करता है जो सामान्य आवास में व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारण है या पडोस में इसे फैलाता है या सार्वजनिक स्थान पर इसे फैलाता रहता है उसे 500 रूपये का अर्थदण्ड की सजा हो सकती है।

आपको अवगत कराना है कि जन स्वास्थ्य के हित में कोनोना वायरस कोविड–19 को फैलने से रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों जैसे कैफे, बार,लाउंज रेस्तरा आदि में हर तरह के हुक्ता पेश करने और पीने के कृत्य को प्रतिबंधित करना जरूरी है अतः कोरोना वायरस (कोविड–19) को ध्यान में रखते हुए **आपको निर्देशित किया जाता है कि आप सार्वजनिक स्थानों,कार्यालयों पर धूम्रपान ,पान मसाला, खाकर इधर–उधर थूँकने तथा खुली सिगरेट की बिकी एवं हुक्का के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगवाना सुनिश्चित करें साथ ही उक्त कृत्य करते हुए पकडें जाने पर सी0ओ0टी0पी0ए0 2003 के नियमों/अधिनियमों इत्यादि के अर्न्तगत नियमानुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।**

मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर

मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर

संख्या व दिनाकें उपरोक्त।
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– जिलाधिकारी महोदय फतेहपुर।
2– पुलिस अधीक्षक फतेहपुर
3– राज्य कार्यकम अधिकारी तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ स्वास्थ्य भवन लखनऊ।
4– मुख्य चिकित्साअधीक्षक/अधीक्षिका जिला पु0/म0 चिकित्सालय फतेहपुर।
5– प्रतिनिधि उ0प्र0 वालंटरी हेल्थ एसोसिएशन लखनऊ।

मुख्य चिकित्साधिकारी
फतेहपुर